

314

190

निगम 6003/2018/रीवा/म.रा.0

न्यायालय म०प्र० राजस्व मण्डल सर्किल कोर्ट रीवा {म०प्र०}

प्रकरण क्रमांक-

दि०



सत० प्र०
वैत० वेधा
9-9-18
बसक अफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र०
(सर्किल कोर्ट)

नरहरि प्रताप सिंह तनय सनत कुमार सिंह उम्र 70 वर्ष पेसा खेती ग्राम

गोनगवां पो० देवतालाब जिला रीवा {म०प्र०}

बनाम

आपेदक

- 1- जय प्रकाश तनय अम्बिका प्रसाद ।
- 2- उर्मिला पीत अम्बिका प्रसाद ।
- 3- देवेन्द्र प्रसाद
- 4- त्रियुगी प्रसाद तनय गैरी प्रसाद ।
- 5- अंजनी प्रसाद
- 6- बी गोपाल
- 7- मुद्रिका प्रसाद
- 8- छपित तनय रामाश्रय ।
- 9- राजधर तनय अनुसुइया प्रसाद
- 10- रामसलोने
- 11- राजेन्द्र पिता द्वारिका प्रसाद ।
- 12- केशव
- 13- ठाकुर प्रसाद तनय मोहन ।

सभी निवासी ग्राम हसलो { ब्योहारिया } तहसील नईगढ़ी जिला रीवा

बनावेदकगण

प्रकरण पुनरीक्षण -

धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

कृपया:-

and

4/3/1

का.रा.

190

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक बिगा. 6.003/2018/ध.रा. जिला-..... रीवा

..... नरहरि प्रताप सिंह विरुद्ध जय प्रमेश शर्मा

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अनूप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक..... 8.11/अपील/2010-11..... में पारित आदेश दिनांक..... 04.07.18..... के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक..... 29.09.18..... प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	